संख्या:   /33–पी0एम0यू0–2014–1284/2013

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी,
प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन एवं
अध्यक्ष, परियोजना प्रबन्ध इकाई,
पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि,
उ0प्र0।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला परियोजना प्रबन्ध इकाई, बी0आर0जी0एफ0
जनपद– अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, बहराइच, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बस्ती, बदायूं, चन्दौली, चित्रकूट, एटा, फर्रूखाबाद, फतेहपुर, गोण्डा, गोरखपुर, हमीरपुर, हरदोई, जालौन, जौनपुर, कौशाम्बी, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, महराजगंज, महोबा, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, रायबरेली, संतकबीरनगर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद, कासगंज एवं उन्नाव।

परियोजना प्रबन्ध इकाई (बी0आर0जी0एफ0)   लखनऊ : दिनांक: 12 मई, 2014

विषय:– पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजनान्तर्गत वर्ष 2014–15 की अनुमोदित वार्षिक जिला योजना भारत सरकार को प्रेषित किया जाना।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 674/33–3–2014–43/2014 दिनांक 09.04.2014 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा गाइडलाइन्स के अनुरूप वर्ष 2014–15 की वार्षिक योजना तैयार कर जिला योजना समिति से अनुमोदित कराने के निर्देश दिये गये हैं। साथ ही, इसी क्रम में परियोजना प्रबन्ध इकाई, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि का अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत/नोडल अधिकारी, बी0आर0जी0एफ0 जनपदों को सम्बोधित तथा आपको पृष्ठांकित पत्र संख्या– 723/33–पी0एम0यू0–2014 –1284/2013 दिनांक 25 अप्रैल, 2014 का भी सन्दर्भ लें, जिसके माध्यम से पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं0 N-11019/1447/2012-BRGF(Vol-II) दिनांक 07.04.2014 की छायाप्रति संलग्न करते हुए वर्ष 2014–15 की वार्षिक योजना तैयार करने हेतु धनराशि की सम्भावित अनुमन्यता बतायी जानी है।

2. शासनादेश दिनांक 09 अप्रैल, 2014 में वर्ष 2013–14 में अनुमन्य धनराशि के अनुरूप ही वार्षिक योजनातैयार कराने के निर्देश दिये गये थे किन्तु अब भारत सरकार के उक्त पत्र में वर्ष 2014–15 हेतु जनपदों के लिये सम्भावित धनराशि की संशोधित अनुमन्यता दर्शायी गयी है, जिसके अनुरूप ही वार्षिक योजना तैयार की जानी है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि वर्ष 2014–15 की वार्षिक योजना के साथ जनपद स्तर के निम्नलिखित विवरण/अभिलेख भी अनिवार्यत: प्रेषित किए जाएं :–

1. वार्षिक कार्ययोजना।
2. जिला योजना समिति की बैठक का कार्यवृत्त जिसमें अनुमोदित धनराशि का विवरण हो।

3. **वर्ष 2014–15 में जिला योजना समिति के कार्यवृत्त में यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया जाना अनिवार्य है कि ग्राम पंचायतों की परियोजनाओं हेतु सम्बन्धित ग्राम सभा में चर्चा कर ही प्रस्ताव पारित किये गये हैं।**
4. जिला योजना समिति की बैठक में उपस्थित प्रतिभागियों की हस्ताक्षरयुक्त सूची।
5. उपभोग प्रमाणपत्र (श्रेणीवार निर्धारित प्रारूप पर)।
6. आडिट रिपोर्ट एवं ए0टी0आर0 (वर्ष 2012–13 की यदि नहीं भेजी है तो उसे भेजा जाए तथा वर्ष 2013–14 का आडिट रिपोर्ट)।
7. प्रगति विवरण निर्धारित प्रारूप पर।
8. प्रोसेस चेकलिस्ट।
9. UCs, Audit Reports, Progress Reports के अनुरूप फाइनेन्शियल चेकलिस्ट।
10. Non-Diversion and Non-Embezzlement certificate निर्धारित प्रारूप पर।
11. भारत सरकार द्वारा संसूचित आपत्तियों पर परिपालन आख्या।
12. दण्ड ब्याज (Penal Interest) का शासनादेश सूचना प्रदेश स्तर से दी जाएगी।
13. सोशल आडिट रिपोर्ट।
14. Model Accounting System adopt करने की स्थिति।
15. Annual Action Plan को प्लान–प्लस पर अपलोड करने की स्थिति।
16. Action Soft portal पर वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के अपलोड करने की स्थिति।

अतः उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्तानुसार वार्षिक कार्ययोजना तैयार कराने के लिए अपने जनपद में सामान्य निर्वाचन के लिए लागू आदर्श आचार संहिता समाप्त होंने के बाद जिला योजना समिति की बैठक शीघ्रताशीघ्र बुलायें एवं जिला योजना समिति से अनुमोदित कराने के पश्चात् वार्षिक योजना की तीन प्रतियां तथा उक्त अभिलेख/विवरण यथाशीघ्र कार्यालय परियोजना प्रबंध इकाई, लखनऊ को दिनांक 16 जून, 2014 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि भारत सरकार को धनराशि का मांग पत्र प्रेषित किया जा सके।

संलग्नक उपर्युक्तानुसार।

भवदीय,

(चंचल कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव/अध्यक्ष,
पी0एम0यू0

पत्रांक : 804/33–पी0एम0यू0–2014–1284/2013, तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त मण्डलायुक्त, बी0आर0जी0एफ0 मण्डल।
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, बी0आर0जी0एफ0 जनपद।
3. समस्त मण्डलीय उप निदेशक (पंचायत), बी0आर0जी0एफ0 मण्डल।
4. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, बी0आर0जी0एफ0 जनपद।
5. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, बी0आर0जी0एफ0 जनपद।
6. पंचायतीराज अनुभाग–3।

(एच0एस0 चतुर्वेदी)
विशेष सचिव/
परियोजना निदेशक

Gen-1